भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 226

उत्तर देने की तारीख- 01/12/2025

शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाना

†226. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या केन्द्र सरकार का देश के कुछ राज्यों की मांग के अनुरूप "शिक्षा" को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है अथवा सरकार ऐसा करने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): "शिक्षा" विषय को संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सूची-II (राज्य सूची) से सूची-III (समवर्ती सूची) में अंतरित किया गया है। तब से शिक्षा से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच साझा किया गया है। इससे केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की अलग-अलग शैक्षिक विकास स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश में शिक्षा के विकास, संवर्धन और विस्तार के लिए उपाय करने में सक्षम बनाया गया है।

*****